समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत् छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके बावजूद श्री जनार्दन महतो, पिता- श्री गोरेलाल महतो, सा0- औराय, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 252/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली- 1962 के नियम -63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त- 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति संख्या- 586 (पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गयी थी। अंचल अधिकारी,पुरैनी एवं थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

थानाध्यक्ष, पुरैनी ने अपने पत्रांक 286/14, दिनांक 22-03-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अनुज्ञप्तिधारी श्री जनार्दन महतो की मृत्यु हो चुकी है। इनके नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति संख्या- 586 (पुरैनी थाना) पर शस्त्र संख्या- 16540 धारित है, जो बिहार आर्म्स एंड एम्युनेशन डीलर, भागलपुर के संस्थान में जमा है। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अन्तर्गत श्री जनार्दन महतो, पिता- श्री गोरेलाल महतो, सा0- औराय, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 586 (पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 (1) के तहत एक नाली बन्दुक संख्या- 16450, जो बिहार आर्म्स एंड एम्युनेशन डीलर, भागलपुर के संस्थान में पूर्व से जमा है, की धटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्व0 जनार्दन महतो के उत्तराधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे मृतक का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 धंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से उनके उत्तराधिकारी को करायेगें।

मेसर्स बिहार आर्म्स एंड एम्युनेशन डीलर, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए मृतक के उत्तराधिकारी या परिवार के अन्य सदस्य को एक नाली बन्दुक सं0- 16540 हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी के उत्तराधिकारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 223 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 17.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, पुरैनी/ मेसर्स बिहार आर्म्स एंड एम्युनेशन डीलर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री जनार्दन महतो, पिता- श्री गोरेलाल महतो, सा0- औराय, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।